राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प ग्राम पंचायत लट्ठावाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 043/2017

1. हनुमान पुत्र श्री लालचन्द जाति बिश्नोई निवासी 4 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. सरूपा पत्नु अमरसिंह
2. सजन पुत्र अमरसिंह
3. भानसिंह पुत्र सुन्दरसिंह
4. जगन्दरसिंह पुत्र रामसिंह
5. जगनन्दनसिंह पुत्र रामसिंह
6. हरीसिंह पुत्र रामसिंह

} जाति कुम्हार निवासी 4 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — वादी
2. पैरोकार राज — प्रतिवादी संख्या 7

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17.05.2018

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 खाता संख्या 63/58 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 की 0.026 हैक्टर किला नम्बर 3 ता 15 कि 3.214 हैक्टर, कुल 3.340 हैक्टर कुल भूमि का खातेदार काश्तकार है व उक्त कुल भूमि पर दिनांक खरीद से आज तक निरन्तर काबिज है और वर्तमान में वादी की फसल काश्त है वादी उक्त भूमि का एकल खातेदार है परन्तु जमाबन्दी में वादी को 3.313 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को 0.006 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 को 0.007 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3 को 0.007, हैक्टर का व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 तीनों को संयुक्त रूप से 0.007 हैक्टर भूमि का खातेदार अंति दर्शा रखा है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 नें उक्त कुल भूमि वादी को विक्रय कर कब्जा भूमि को सौप दिया है और कुल भूमि पर वादी काबिज है और प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 इस भूमि के किसी भाग पर काबिज नहीं है विक्रय कि दिनांक से कब्जा से बाहर है वर्तमान जमाबन्दी की नकल संलग्न वाद है।

वर्तमान मुरब्बा नम्बर 45 पूर्व में मुरब्बा नम्बर 44 था और मुरब्बा नम्बर 44 मुरब्बा नम्बर 46 और मुरब्बा नम्बर 44 व 45 का जमाबन्दी वर्ष 1944–45 सम्वत् 2001 खाता संख्या 21/35 था और इस खाता संख्या 21/35 में मुरब्बा नम्बर 44/46 के किला नम्बर 1/2 में 10 बिस्वा, किला नम्बर 3 ता 14, 18/18 व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा कुल 37 बीघा 14 बिस्वा में अमरसिंह पिता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बगै. भानसिंह

लगातार 2

प्रतिवादी संख्या 3 गुजरसिंह चार हिस्सेदार 4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 तीनों संयुक्त रूप से 1 हिस्सा के खातेदार मालिक थे मिलान क्षैत्रफल व जमाबन्दी सम्वत् 2001 संलग्न वाद पत्र है।

संयुक्त खाता संख्या 21/35 के खातेदारान नें आपसी सहमती व काश्त की सहुलियत की लिहाज से भूमि का विभाजन कर रखा था और इस विभाजन से खातेदार अमरसिंह पिता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को मुरब्बा नम्बर 44/46 के किला नमबर 3, 8, 13 प्रत्येक सालम, मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 11, 12, 13, 14 प्रत्येक सालम व किला 15 में 18 बिस्वा कुल 7.15 बीघा बगू हिस्सेदार को मुरब्बा नम्बर 44/46 के किला नम्बर 1/2 की 10 बिस्वा किला नम्बर 5, 6, 15 प्रत्येक में 18–18 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 5 में 18 बिस्वा कुल 8 बीघा 2 बिस्वा भूमि व भानसिंह हिस्सेदार को मुरब्बा नम्बर 44/46 के किला नम्बर 4, 7, 14 प्रत्येक सालम मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 6 में 18 बिस्वा, किला नम्बर 7 ता 10 सालम कुल 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि और इसी प्रकार गुजरसिंह हिस्सेदार को मुरब्बा नम्बर 44/46 के किला नम्बर 10, 11 दोनों सालम मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 21 ता 24 सालम किला नम्बर 25 में 18 बिस्वा कुल 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि प प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को मुरब्बा नम्बर 44/46 के किला नम्बर 9, 12 सालम मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 16 में 18 बिस्व 17 ता 20 सालम कुल 6 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई थी और कागजात माल जमाबन्दी सम्वत् 2001 में खातेदारान का हिस्सा व बंटवारा दोनों दर्ज है खातेदार अमरसिंह का देहान्त होने पर अमरसिंह का हिस्सा उसके तीनों वारिस प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व करनैलसिंह उर्फ कैला को प्राप्त हो गया था जिसका इन्तकाल संख्या 12 दर्ज हुआ। जमाबन्दी सम्वत् 2001 व इन्तकाल संख्या 12 संलग्न वाद पत्र है।

खातेदार सजनसिंह प्रतिवादी संख्या 2 पुत्र अमरसिंह नें भानसिंह बगैरा के संयुक्त खाता में मुरब्बा नम्बर 44 के 13 बिघा 5 बिस्वा में 2.10 बीघा भूमि अपनें हिस्से में बताकर मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 7 व 14 सालम व किला नम्बर 4 में 10 बिस्वा जो किला नम्बर 7 से चिपता हुआ कुल 2.10 बीघा आराजी नहरी वादी के भाईयों मनफुल मनीराम पिसरान लालचन्द जाति बिश्नोई को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1961 को विक्रय कर कब्जा भूमि दे दिया इस प्रकार सजनसिंह नें उक्त खाता में कुल भूमि विक्रय कर दी और सजनसिंह की इस संयुक्त खाता की भूमि में से कोई भूमि शेष नहीं रही थी और इस विक्रय पत्र का इन्तकाल संख्या 12 दिनांक 30.10.1977 को तस्दीक किया जा चुका है और क्रेता खरीददार मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 4, 7, 17 की कुल भूमि पर दिनांक खरीद से काबिज है। और इन्तकाल के कालम नम्बर 16 में किला विशेष का हवाला दिया गया है परन्तु इन्तकाल के कालम नम्बर 11 में खरीददारान के नाम 50 हिस्सा ही दर्ज किया गया है एक हिस्सा सजन के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि सजनसिंह की उक्त खाता में 2.10 बीघा भूमि थी व 2.10 बीघा भूमि ही विक्रय कर दी थी बैयनामा व इन्तकाल की नकल संलग्न वाद पत्र है। इसी खाता के खातेदार बगू नें भी उक्त खाता में 7.10 बीघा भूमि का खातेदार बताया और 7.10 बीघा में से मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5, 6, 15 तीनों में 18–18 बिस्वा कुल 2.10 बीघा भूमि मनफुल, मनीराम पिसरान लालचन्द को वैध प्रतिफल प्राप्त कर रजि. पत्र दिनांक 16.01.1961 में विक्रय कर दी व कब्जा भूमि दे दिया और बगू से खरिद भूमि का इन्तकाल संख्या 38 तस्दीक कर दिया गया मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5, 6, 15 तीनों पर खरीददार काबिज हो गया है इन्तकाल की नकल संलग्न वाद पत्र है इसी खाता के खातेदार प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 नें भी मुरब्बा नम्बर 44

लगातार 3

के किला नम्बर 1 में 10 बिस्वा, 3 व 9 सालम कुल 2.10 बीघा का खातेदार बताकर मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 9 सालम वैध प्रतिफल प्राप्त कर रजि. विक्रय पत्र दिनांक 14.04.1977 से वादी के भाई राजाराम पुत्र लालचन्द को व दिनांक 13.04.1977 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किला नम्बर 3 सालम वादी के भाई हरीकिशन पुत्र लालचन्द को व दिनांक 13.04.1977 को ही मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 1 में 10 बिस्वा का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी को विक्रय का कब्जा भूमि दे दिया और तीनों विक्रय पत्रों को एक संयुक्त इन्तकाल संख्या 38 दिनांक 15.08.1981 को स्वीकृत किया जा चुका है और इस इन्तकाल में भी किला नम्बर 1, 3 व 9 के विक्रय करनें विवरण दे दिया गया है और किला नम्बर 1, 3, व 9 की 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर वादी खरीददार काबिज हो गये है प प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का इस भूमि में कोई कब्जा शेष नहीं रहा है इसी प्रकार खातेदार कैला पुत्र अमरसिंह प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के भाई नें भी मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 4, 8, 9, 11, 12, 13 सालम कुल 5 बीघा 1 बिस्वा व किला नम्बर 4 में 9 बिस्वा गुजरसिंह के कुल 5.10 बीघा भूमि वैध प्रतिफल सहीत वादी व वादी के भाई हेतराम हरीकिशन राजाराम को दिनांक 27.02.1967 से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय कर कब्जा भूमि दे दिया और इस विक्रय पत्र का इन्तकाल संख्या 35 दिनांक 17.11.1981 को स्वीकृत कर दिया गया, जबकि इन्तकाल में 104 हिस्सा का ही विवरण दिया गया है इस प्रकार कुल 6 बैयनामो व चार इन्तकाल से मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1/2 की 10 बिस्वा, 3 ता 15 की कुल भूमि विक्रय की जा चुकी है उक्त भूमि वादी व वादी के भाईयों नें खरीद की थी। छः बैयनामों की इन्तकाल की नकल संलग्न वाद पत्र है।

मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 में 0.126 हैक्टर व किला नम्बर 3 ता 15 की कुल 3.340 हैक्टर भूमि वादी व वादी के भाईयों नें खरीद की थी, परन्तु कुल भूमि वादी ही काश्त करता था व आज भी वादी ही काश्त करता है वादी के भाईयों की इसी चक में दूसरे मुरब्बों व अन्य खातों में भी भूमि थी जिसका आपसी सहमती से कब्जा काश्त के आधार पर बंटवारा कर लिया गया और इस बंटवारा में मुरब्बा नम्बर 45 की वाद ग्रस्त भूमि किला नम्बर 1 से 15 की 3.340 हैक्टर भूमि वादी को प्राप्त हुई है और वादी के नाम उक्त भूमि के बंटवारा का इन्तकाल तस्दीक किया जा चुका है। वादी नें भूमि पर ऋण ले रखा है और ऋण लेनें के लिये वादी नें वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी तो वादी नें इस खाता में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम देखे तो वादी नें पुराना खरीद का रिकार्ड व इन्तकाल देखे तो वादी को मालूम हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 नें तो भूमि पूर्व में ही विक्रय कर दी है और उनका नाम गलत चला आ रहा है। वादी कुल भूमि का खातेदार है और प्रतिवादीगण का नाम कलमजन करवानें का अधिकारी व दावेदार है।

उक्त भूमि जरिये छः विक्रय पत्र से किला विशेष से भूमि क्रय की गई है जबकि इन्तकाल हिस्से में दर्ज किया गया है कानूनन विक्रय पत्र अनुसार ही इन्तकाल तस्दीक किया जाना चाहीये था। वादी कुल भूमि पर खरीद दिनांक से काबिज है प्रतिवादी विक्रय की दिनांक से भूमि से बाहर है प्रतिवादी का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि के किसी भाग पर नहीं है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के तहत भी प्रतिवादी के अधिकार समाप्त हो चुके है वादी को स्वंय व वादी के भाईयों की खरीद की भूमि आपसी बंटवारा से वादी को मिली है वादी दावा प्रस्तुत करनें में सक्ष्म है व विक्रय पत्रों की घोषणा करवानें का हकदार व दावेदार है।

वादी वादग्रस्त कुल भूमि पर काबिज है वादी नें भूमि को सुधार व उपजाऊ बनाया है वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को अपना नाम हटाकर कुल भूमि का वादी को खातेदार

स्वीकार करनें का कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे व कल दिनांक 26.01.2017 को प्रतिवादी नें ऐसा करनें से साफ इन्कार कर दिया है यही वाद कारण है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) घोषित किया जावे कि वादी विक्रय पत्र दिनांक 20.06.1961, 16.01.1961, 27.02. 1967, 13.04.1977, 13.04.1977 14.04.1977 के आधार पर वाके चक 4 डी छोटी के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1/2 में 0.126 हैक्टर व किला नम्बर 3 ता 15 कुल भूमि 3.340 हैक्टर का एकल खातेदार है।

(ख) जमाबन्दी वर्ष 2066 से 2059 के खाता संख्या 63/58 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का नाम वाद ग्रस्त खाता से हटाया जावे।

(ग) खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान करवाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया विधिवत तलबी नहीं होनें के कारण जरिये स्थानिय समाचार पत्र के माध्यम से तलबी करवाई गई परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 असालतन/वकालन उपस्थित नहीं आने कारण दिनांक 1101.2018 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

राज पैरोकार/तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बननी पाई जानें पर वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को सुना गया वादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए विक्रय पत्रों के आधार पर वादी को विवादीत आराजी का खातेदार घोषित किये जानें हेतु निवेदन किया बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादी हनुमान द्वारा ही प्रतिवादीगण से भूमि खरिद की गई हो इस कारण प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि को वादी प्राप्त करनें का अधिकारी नहीं होनें से वादी का वाद पत्र पोषणीय नहीं पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वादी हनुमान पुत्र श्री लालचन्द जाति बिश्नोई निवासी 4 डी छोटी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर का वाद पत्र पोषणीय नहीं पाये जानें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 17.05.2018 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत लट्ठावाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर